समाचार

अनाधिकृत विकास व निर्माण का होगा नियमितिकरण

(01 नवम्बर 1984 से 01 अगस्त 2016 के मध्य अस्तित्व में आए अनाधिकृत विकास प्रकरणों का होगा नियमितिकरण, कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न बैठक में अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिये निर्देश)

कोरबा 29 अगस्त 2016 –राज्य शासन के आदेशानुसार अनाधिकृत रूप से किए गए विकास व निर्माण का नियमितिकरण किया जाएगा। आदेशानुसार 01 नवम्बर 1984 से 01 अगस्त 2016 के मध्य अस्तित्व में आए आवासीय एवं गैर आवासीय अनाधिकृत विकास के प्रकरणों का निराकरण किया जाना है, इस संबंध में शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2016 अधिनियमित किया गया है।

इस संबंध में आज कलेक्टर श्री पी.दयानंद ने कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न बैठक के दौरान आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं शासन के निर्देशानुसार नियमितिकरण की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। बैठक में नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, नगर पालिक निगम कोरबा एवं जिले के अन्य निकायों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान बताया गया कि शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के निवेश क्षेत्रों में आवासीय एवं गैर आवासीय अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 अधिनियमित किया गया था, जो 01 अगस्त 2002 से प्रभावशील था, साथ ही इसका वर्ष 2003 में संशोधन किया गया था। शासन के ध्यान में यह तथ्य आया कि शास्ति प्रक्रिया निर्धारण की जटिलता के परिणाम स्वरूप अनाधिकृत विकास प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल पायी, परिणाम स्वरूप स्थिति पर शासन द्वारा विचार करने के पश्चात प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2016 अधिनियमित किया जाकर प्रदेश में यह अधिनियम को 01 अगस्त 2016 से प्रभावशील कर दिया गया है, जिसके तहत 01 नवम्बर 1984 से 01 अगस्त 2016 के मध्यम अस्तित्व में आए आवासीय एवं गैर आवासीय अनाधिकृत विकास के प्रकरणों का नियमितिकरण किया जाना है। 01 अगस्त 2016 के पश्चात किए गए अनाधिकृत निर्माण इसमें शामिल नही किए जाएंगे। कलेक्टर श्री पी.दयानंद ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये है कि 01 अगस्त 2016 के पश्चात कोई भी अनाधिकृत विकास किसी भी दशा में न किया जाए, यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें। उन्होने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को निर्देश दिये है कि निवेश क्षेत्र में रिक्त स्थानों, अपूर्ण भवनों तथा अवैध कालोनियों की वीडियोग्राफी तत्काल कराई जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि वीडियोग्राफी में तारीख व समय अंकित हो।

अधिसूचित दिनांक से एक वर्ष के भीतर किए जा सकेगे आवेदन– जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अनाधिकृत रूप से विकास व निर्माण करने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक 01 अगस्त 2016 से एक वर्ष के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने होगे, जिला कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वे विशेष परिस्थिति में इस अवधि में 30 दिन की वृद्धि कर सकेगे। अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप –1 में प्रस्तुत करना होगा, इसके साथ ही उक्त निर्धारित प्रारूप में हस्तलिखित, साईक्लोस्टाईल्ड, टाईप या किसी भी प्रकार से लिखे गए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम के अधीन निर्धारित शास्ति की राशि अनाधिकृत विकास कर्ता को शासकीय कोष में जमा करानी होगी। यह शास्ति की राशि चार समान किश्तों में जमा की जा सकेगी। शास्ति राशि की गणना की जानकारी संबंधित कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

इन स्थानों से प्राप्त किए जा सकेंगे आवेदन– अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, तहसील कार्यालय, निगम कार्यालय साकेत भवन तथा निगम के कोरबा जोन कार्यालय, टी.पी.नगर जोन कार्यालय, कोसाबाड़ी जोन कार्यालय, बालको जोन कार्यालय, दर्री जोन कार्यालय एवं बांकीमोंगरा जोन कार्यालय, जिले के सभी नगरीय निकाय कार्यालय व तहसील कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है साथ ही आवेदन पत्र के प्रारूप जिले के वेबसाईट एवं नगर निगम कोरबा की वेबसाईट में भी उपलब्ध रहेगे। भरे हुए आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, सभी तहसील कार्यालयों, नगर निगम कार्यालय साकेत भवन तथा जिले के संबंधित नगरीय निकायों में जमा कराए जा सकते हैं।

जिला नियमितिकरण प्राधिकारी का गठन– राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 की धारा में 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला नियमितीकरण प्राधिकारी का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाले जिला नियमितीकरण प्राधिकारी में जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित नगरीय निकाय जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा के आयुक्त अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित विकास प्राधिकरण जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य होगें तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के जिला प्रभारी अधिकारी सदस्य सचिव का दायित्व वहन करेंगे।

इन अनाधिकृत विकास का नहीं होगा नियमितिकरण– बैठक में बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार जिन अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण नहीं किया जाएगा, उनमें ऐसी भूमि जो शासन, स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानूनी निकाय के स्वामित्व की हो, निर्माण परिभाषित भवन रेखा को प्रभावित करता हो या मार्ग रेखा के भीतर हो, विशिष्ट प्रयोजन के लिए आबंटित भूमि का प्रयोजन से हटकर अनाधिकृत विकास किया गया हो, निर्माण क्षेत्र जलाशय के तल किनारे या प्राकृतिक जल निकास पर स्थित हो, कोई भवन किसी विरासत स्थल के दृश्य को बाधित करता हो, ऐसा भवन जो नगर ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के किसी प्रावधान का उल्लघंन करता हो, पार्क या खेल मैदान के लिए संरक्षित हो, के साथ ही कुछ अन्य परिस्थितियों में नियमितिकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।